

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या :- 551/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक, दुकान नम्बर 3ए, भूतल व प्रथम तल, कृष्णा विहार, टोंक रोड,
जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री प्रमोद सक्सैना पुत्र श्री रतनलाल,
निवासी : प्लॉट नम्बर बी-70, मोहनपुरा रोड, आर.के. वाटिका सिटी प्रथम-बी, वाटिका,
सरकारी स्कूल के पास, सांगानेर, जयपुर।
एवं मकान नम्बर एल-23, विजय पथ टीला, जयपुर।
2. श्रीमती प्रीति सक्सैना पत्नी श्री प्रमोद सक्सैना,
निवासी :- प्लॉट नम्बर बी-70, मोहनपुरा रोड, आर.के. वाटिका सिटी प्रथम-बी, वाटिका,
सरकारी स्कूल के पास, सांगानेर, जयपुर।
3. श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री गोविन्द विहारी,
निवासी : मकान नम्बर बी-358, आर.के. वाटिका सिटी, वाटिका रोड, वाटिका, सांगानेर,
जयपुर।
एवं मकान नम्बर सी-5, मेहरों की बस्ती, रामगढ मोड, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :- श्री सत्येन्द्र खोरानियां, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 12.10.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20-08-2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती प्रीति सक्सैना पत्नी श्री प्रमोद सक्सैना के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर बी-70, मोहनपुरा रोड, आर.के. वाटिका सिटी प्रथम-बी, वाटिका, सरकारी स्कूल के पास, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज को बन्धक रख कर 8,50,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14-07-2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 8,50,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 10,45,379/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 14.07.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती प्रीति सक्सैना पत्नी श्री प्रमोद सक्सैना के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर बी-70, मोहनपुरा रोड, आर.के. वाटिका सिटी प्रथम-बी, वाटिका, सरकारी स्कूल के पास, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधिक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर



आज दिनांक 12.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर